नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

(Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD&GR, Govt. of India)

नर्मदा सदन, सेक्टर-बी, स्कीम नं. 74-सी, विजय नगर, इन्दौर (म. प्र.)

Narmada Sadan, Sector-B, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452 010 (M.P.), INDIA

संख्याः न.नि.प्रा. / प्रशा. / सामान्य / 2021 /

01 जून, 2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर के आदेश क्र.2516 / री.ए.डी.एम. / 2021 दिनांक 31–05–2021 के अनुसार 01 जून, 2021 से इन्दौर जिले में अनुमति योग्य एवं प्रतिबंधित गतिविधियों के सम्बन्ध में आदेशित किया गया है कि समस्त शासकीय कार्यालय 01 जुन, 2021 से 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेगें। उपरोक्त आदेश ननिप्रा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होता है।

अतः ननिप्रा के समस्त विभाग प्रमुखों / नियंत्रक अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ इंदौर मे कार्यरत् अधिकारियों की 100% एवं कर्मचारियों की 50% उपस्थिति 01 जून, 2021 (मंगलवार) से, अगले आदेश तक, कार्यालय में सुनिश्चित करवायें।

जो अधिकारी / कर्मचारी कोविड19 पॉजिटिव थे उनको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्र.P.No.14029/5/2019-Estt.(L)(Pt.2) दिनांक 28-07-2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार [(1) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी कोविड19 पॉजिटिव था तो वह चिकित्सा अवकाश या किसी अन्य अवकाश के लिए आवेदन करेगा जैसा कि चिकित्सा / फिटनेस पर देय एवं स्वीकार्य होता है, (2) यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी लॉकडउन के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय छोडता है तब ऐसे मामले मे वह अधिकारी / कर्मचारी अनुपस्थिति की पुरी अवधि के लिये सीसीएस (छुट्टी) नियमो के अनुसार देय और स्वीकार्य छुट्टी के लिए आवेदन करें]

निर्देशन मे आया है कि ननिप्रा के कुछ अधिकारी / कर्मचारी बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के मुख्यालय (इंदौर) से बाहर हैं। अतः ननिप्रा के सभी विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करे कि उनके अधिनस्थ अधिकारी / कर्मचारी 01 जून, 2021 से कार्यालय मे उपस्थित है एवं यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी कोरोना पॉसिटिव था, लॉकडाउन के दौरान मुख्यालय में उपस्थित नही था आदि की स्थिति में उन सभी अधिकारी / कर्मचारी को अवकाश हेतु आवेदन करने एवं कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये आदेशित करें तथा उन आवेदनो को ननिप्रा, प्रशासन विभाग को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।

भोपाल, बडोदरा, दिल्ली, मंडला एवं होशंगाबाद स्थित ननिप्रा के कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त शहरो के संबंधित कलेक्टर आदि द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यालय मे उपस्थिति सुनिश्चित कर ननिप्रा, प्रशासन विभाग को सुचित करे।

यह कार्यालय आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जाता है।

आर. वासुदेवन
01/06/2021

(आर. वासुदेवन)
उपनिदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपिः

1. कार्यकारी सदस्य के प्रधान निजी सचिव, ननिप्रा, इंदौर।
2. सदस्य (विद्युत) / (सिविल) / (पर्या.एवं पुर्न.) के निजी सचिव / सहायक, ननिप्रा, इंदौर।
3. मुख्य अभियंता / सचिव के निजी सचिव / सहायक, ननिप्रा, इंदौर।
4. सभी निदेशक, ननिप्रा, इंदौर / भोपाल / बडोदरा।
5. सभी उपनिदेशक स्तर के अधिकारी, ननिप्रा, इंदौर / भोपाल / बडोदरा / दिल्ली / होशंगाबाद / मंडला।
6. वित्त अधिकारी, ननिप्रा, इंदौर।
7. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, ननिप्रा की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड / समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, ननिप्रा
9. कार्यालय आदेश फोल्डर ।

जल क्रांति अभियान
जल बचत - जल संचय
स्वच्छ सुरक्षित जल-सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE